

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-1/2014/नियम/चार

भोपाल दिनांक 05/नवम्बर/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाधीश
मध्य प्रदेश।


विषय :- सामान्य भविष्य निधि लेखों में ऋणात्मक शेष के संबंध में ।
संदर्भ :- म.प्र. वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ 5-1/2014 /नियम/चार दिनांक
15 जून 2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2014/नियम/चार दिनांक 23.12.2019 के पैरा-3 में उल्लेखित है कि

“कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि व्यक्तिगत रूचि लेकर सामान्य भविष्य निधि में पाये गये ऋणात्मक शेष के प्रकरणों के निराकरण हेतु उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाये।” वित्त विभाग के आदेश दिनांक 15 जून 2020 के द्वारा उक्त निर्देशों के पालन में की गयी कार्यवाही से शासन को अविलम्ब अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उपरोक्त निर्देश के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होने से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पत्र क्रमांक /निधि-विविध/41 दिनांक 9.06.2020 एवं पत्र क्रमांक निधि-विविध/149 दिनांक 19.08.2020 के द्वारा पुनः जानकारी का अनुरोध किया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि में पाये गये ऋणात्मक शेष के दिनांक 31 मार्च 2020 तक के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाकर दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।


(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

म. प्र. शासन, वित्त विभाग


पृ.क्रमांक एफ 5-1/2014/नियम/चार

भोपाल दिनांक 05/नवम्बर/2020

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
4. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
5. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर ।
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
11. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल ।
12. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
13. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी ।
14. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


05/11/2020

अवर सचिव

म. प्र. शासन, वित्त विभाग